न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी (राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–119/2023

GCMS NO:- 2023/182

दायर दिनांकः 13.06.2023

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. महावीर साहू आ0 छीतर उर्फ सीताराम जाति तेली नि0 ग्राम हीरापुर (तलवास) तहसील नैनवॉ।
2. शम्भू साहू आ0 छीतर उर्फ सीताराम जाति तेली नि0 ग्राम हीरापुर (तलवास) तहसील नैनवॉ।
3. दिनेश कुमार आ0 हनुमान जाति तेली नि0 ग्राम हीरापुर (तलवास) तहसील नैनवॉ।
4. सोनू आ0 स्व0 रमेश जाति तेली नि0 ग्राम हीरापुर (तलवास) तहसील नैनवॉ।
5. मदन मोहन आ0 स्व. रमेश जाति तेली नि0 ग्राम हीरापुर (तलवास) तहसील नैनवॉ।
6. राजेश देवी पुत्री स्व0 रमेश जाति तेली नि0 ग्राम हीरापुर (तलवास) तहसील नैनवॉ।
7. द्वारका बाई पत्नी स्व. रमेश जाति तेली नि0 ग्राम हीरापुर (तलवास) तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. भूस्वामी जर्ये तहसीलदार साहब, नैनवॉ तहसील नैनवॉ।
2. नायब तहसीलदार साहब, देई तहसील नैनवॉ।

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शांतिलाल मीना।

निर्णय दिनांक 18.08.2025

:–निर्णय–:

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम हीरापुर प0म0 नीमखेडा तहसील नैनवॉ मे भूमि खाता संख्या 47 की भूमि खसरा नम्बर 63, 65, 66, 67 व 68 कुल किता 5 कुल रकबा 0.8091 हैक्टयर भूमि स्थित है। इसी प्रकार ग्राम हीरापुर मे खाता संख्या 54 की भूमि खसरा नम्बर 62 रकबा 0.0324 हैक्टयर गै0मु0 चाह स्थित है। इसी प्रकार ग्राम हीरापुर मे खाता संख्या 48 की भूमि खसरा नम्बर 642 रकबा 0.4854 हैक्टयर भूमि स्थित है। इसी प्रकार ग्राम हीरापुर मे खाता संख्या 29 की भूमि खसरा नम्बर 149 रकबा 0.1294 हैक्टयर भूमि स्थित है।

यह कि प्रार्थीगणों के पिता व दादाजी का वास्तविक नाम सीताराम उर्फ छीतर था जिनकी मृत्यु दिनांक 01.01.1979 को हो चुकी है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 4 की भूमियां प्रार्थीगणों के पिता व दादाजी सीताराम उर्फ छीतर आ0 रामनाथ के नाम दर्ज होने से उनके वारिस रमेश, हनुमान, शम्भू व महावीर के फोती नामान्तरकरण मे रमेश, महावीर, हनुमान, साबू पिता छीतर के रूप मे नामान्तरकरण दर्ज हुआ जबकि नामान्तरकरण मे प्रार्थीगण के पिता के दो नाम छीतर उर्फ सीताराम होने से दोनों नाम दर्ज होने चाहिए थे जबकि पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीगण के पिता का नाम छीतर ही दर्ज कर दिया गया और प्रार्थी शम्भू के बजाय साबू दर्ज हो गया जो पूर्णतया गलत है जबकि सभी दस्तावेजों मे नाम शम्भू है। स्व. छीतर उर्फ सीताराम के प्रार्थीगणों के अलावा कोई वारिस नही है।

प्रार्थीगण के पिता स्व. छीतर उर्फ सीताराम दर्ज नही होने से प्रार्थीगणों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड रहा है व प्रार्थीगणों के सभी दस्तावेजों मे पिता का नाम सीताराम दर्ज होने से व जमाबन्दी मे छीतर नाम दर्ज है जबकि प्रार्थीगणों के पिता का नाम छीतर उर्फ सीताराम नाम है। मृत्यु प्रमाण पत्र मे भी छीतर उर्फ सीताराम के नाम से जारी किया हुआ है। छीतर व सीताराम दोनों नाम ही प्रार्थीगणों के पिता का है। अतः यह आवश्यक है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 4 मे वर्णित भूमियों मे प्रार्थीगण के पिता का नाम छीतर उर्फ सीताराम एवं साबू को विलोपित कर उसके स्थान पर शम्भू दुरस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवॉ द्वारा पत्रांक/1595 दिनांक 21.4.2025 द्वारा रिपोर्ट पेश की गयी जिसमे संलग्न पटवारी हल्का नीमखेडा द्वारा बताया गया कि ग्राम हीरापुर मे नामान्तरकरण संख्या 4/25 के अनुसार प्रार्थीगणों का नाम रमेश, साबू, महावीर, हनुमान पि0 छीतर दर्ज हुआ है तथा ग्राम हीरापुर मे नामान्तरकरण संख्या 8/29 के अनुसार प्रार्थीगणों का नाम रमेश, हनुमान, साबू, महावीर पि0 छीतर दर्ज है। प्रार्थीगणों के सभी दस्तावेजों मे इनके पिता का नाम छीतर उर्फ सीताराम दर्ज है। ग्रामवासियान से पता करने पर बताया गया कि साबू एवं शम्भू एक ही व्यक्ति है एवं इनके पिता का नाम छीतर उर्फ सीताराम है जो एक ही व्यक्ति है। तहसीलदार नैनवॉ द्वारा राजस्व रिकॉर्ड

मे प्रार्थीगणों के पिता का नाम छीतर की जगह छीतर उर्फ सीताराम एवं साबू पि0 छीतर की जगह शम्बू पि0 छीतर उर्फ सीताराम दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 4 मे वर्णित भूमि की जमाबन्दी व अन्य राजस्व अभिलेखों मे प्रार्थीगणों के पिता का नाम संशोधन करवाकर छीतर के स्थान पर छीतर उर्फ सीताराम एवं साबू पि0 छीतर के स्थान पर शम्बू पि0 छीतर उर्फ सीताराम दर्ज करवाये जाने का निवेदन किया। साथ ही निवेदन किया कि उक्त संबंध मे श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ की रिपोर्ट भी माननीय न्यायालय को प्राप्त हो चुकी है अतः तहसीलदार साहब नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगणों के पिता व शम्बू का नाम संशोधन करवाने की कृपा करें।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि ''भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, राशन कार्ड, आदि प्रति मे प्रार्थीगणों के पिता का नाम सीताराम अंकित है। मृत्यु प्रमाण पत्र मे प्रार्थीगणों के पिता का नाम सीताराम उर्फ छीतर अंकित है तथा शम्बू के आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि मे शम्बू अंकित है। तथा प्रशासक (सरपंच) ग्राम पंचायत तलवास द्वारा भी उनके लेटरपेड पर शंभू उर्फ़ साबूलाल पिता सीताराम उर्फ छीतर जाति तैली नि0 हीरापुर को व्यक्तिगत रूप से जानने व इस नाम का गांव मे कोई अन्य व्यक्ति नही होना प्रमाणित किया है। साथ ही तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 4 मे वर्णित भूमियों मे प्रार्थीगणों के पिता का नाम छीतर के स्थान पर छीतर उर्फ सीताराम एवं साबू पि0 छीतर के स्थान पर शम्बू पि0 छीतर उर्फ सीताराम दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम हीरापुर प0म0 नीमखेडा तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 47, 54, 48, 29 में दर्ज प्रार्थीगणों के पिता का नाम ''छीतर'' के स्थान पर ''छीतर उर्फ सीताराम '' एवं शम्बू का नाम ''साबू पि0 छीतर'' के स्थान पर ''शम्बू पि0 छीतर उर्फ सीताराम'' शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार नैनवां को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 18.08.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

क्रमांकः– रीडर/2025/546 दिनांकः– 3.9.25

प्रेषितिः–

तहसीलदार
नैनवां।

विषयः– प्रकरण संख्या 119/4ए0/2023 बउनवान [illegible] बनाम [illegible] मे पारित निर्णय की पालना रिपोर्ट पेश करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के उक्त प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 18/8/2025 की प्रति संलग्न कर लेख है कि आप संलग्न निर्णय की पालना कर रिपोर्ट पेश करें।

संलग्नः– उपर्युक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ

महावार ।५० छातर ५ज ८। [illegible]
दर्ज है। [illegible]